

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-2/सिरीज-02/2016 परि0 3270 /

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

पटना, दिनांक 22/6/17

विषय : जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1730 दिनांक-05.05.2017 के प्रसंग में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज BR-45H प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज BR-45F में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों का निबंधन नहीं किया जाएगा।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि आपके जिले में निबंधित डीलर प्वाइंट की सूची (नाम, पता, ऑथराइजेशन नं0 एवं उनका दूरभाष सं0) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं सिरीज अधियाचना में चालू सिरीज में निबंधित वाहनों तथा निर्गत निबंधन स्मार्टकार्ड की सूचना अवश्य भेजी जाय अन्यथा आपके कार्यालय को निबंधन संख्या का आवंटन रोक दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-2/सिरीज-02/2016 परि०

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

पटना, दिनांक

विषय : जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1730 दिनांक-05.05.2017 के प्रसंग में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज BR-45H प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज BR-45F में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों का निबंधन नहीं किया जाएगा।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि आपके जिले में निबंधित डीलर प्वाइंट की सूची (नाम, पता, ऑथराइजेशन नं० एवं उनका दूरभाष सं०) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं सिरीज अधियाचना में चालू सिरीज में निबंधित वाहनों तथा निर्गत निबंधन स्मार्टकार्ड की सूचना अवश्य भेजी जाय अन्यथा आपके कार्यालय को निबंधन संख्या का आवंटन रोक दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-

3270

पटना दिनांक-

22/6/17

प्रतिलिपि-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Bihar, Patna/IT Manager/
Computer शाखा, प्रशाखा-2, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना